



कार्यालय

यूआईडी:2017/35289/केआरएन/कासगंज/62/डी0डी0

उपनिदेशक

फायर सर्विस

आगरा/अलीगढ

परिक्षेत्र I

सेवा में,

1301.

दिनांक: सितम्बर

22

2017,

अपर जिलाधिकारी,
कासगंज।

विषय:

मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, द्वारा गाटा/खसरा नं०-489 गॉव मानपुर नगरिया तहसील कासगंज जनपद कासगंज उ०प्र० मे प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु 20 के०एल० पेट्रोलियम क्लास "बी०" (एच०एस०डी०) का 01 अदद भण्डारण टैंक तथा 15 के०एल० पेट्रोलियम क्लास "ए०" (एम०एस) का एक अदद भण्डारण टैंक, की स्थापना हेतु अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 62/न्याय सहायक-द्वितीय/2017 दिनांक: 13-09-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से आपके द्वारा मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, द्वारा गाटा/खसरा नं०-489 गॉव मानपुर नगरिया तहसील कासगंज जनपद कासगंज उ०प्र० मे प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु 20 के०एल० पेट्रोलियम क्लास "बी०" (एच०एस०डी०) का 01 अदद भण्डारण टैंक तथा 15 के०एल० पेट्रोलियम क्लास "ए०" (एम०एस) का एक अदद भण्डारण टैंक, की स्थापना हेतु अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का परीक्षण अग्निशमन द्वितीय अधिकारी प्रभारी अग्निशमन फायर स्टेशन कासगंज श्री महेश चन्द्र से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 17-09-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी कासगंज लिक अधिकारी एटा श्री शिवदयाल शर्मा को उपलब्ध करायी गयी जिनका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 18-09-2017 इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी पत्रावली का अधोस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार किया गया तो रिटेल आउटलेट, की स्थापना कराये हेतु मानचित्रों मे उल्लेखित मानको का अनुपालन किये जाने की शर्त एवं पेट्रोलियम रूल्स-2002, तथा एन०बी०सी० के अनुसार अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी समस्त प्राविधान किये जाने अनिवार्य होंगे जो निम्नवत है:-

दॉचागत व्यवस्था:-

कुल प्लॉट एरिया-1225.00 वर्ग मी०।

पहुंच मार्ग:-प्रस्तावित स्थल के सामने रोड की चौड़ाई 46.00 मीटर मानको के अनुसार है, जिस पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।

2-प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाईटेंशन लाइन नहीं गुजर रही है, तथा भविष्य में भी कोई हाई/लो टेंशन लाइन गुजारने की अनुमति नहीं होगी।

3-रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम रूल्स-2002 व सम्बन्धित ओ०आई०एस०डी० के अनुसार कराये जाने अनिवार्य होंगे।

4-प्रस्तावित स्थल पर समस्त गैस एवं पदार्थों का रख रखाव पेट्रोलियम रूल्स-2002 के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।

5-प्रस्तावित स्थल पर विद्युत व्यवस्था पेट्रोलियम रूल्स-2002, मानको के अनुसार करायी जानी अनिवार्य होगी।

6-प्रस्तावित स्थल पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एन०बी०सी०-2005 एवं आई०एस० कोड के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।

7-प्रस्तावित स्थल पर फायर स्टेशन कासगंज के टेलीफोन नम्बर का लिखा बोर्ड लगाया जाये।

8-प्रस्तावित स्थल के उपर से किसी प्रकार की हाई/लो टेन्शन विद्युत लाइन नहीं गुजारी जायेगी।

9-प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भंडारण नहीं किया जायेगा।

10-प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार के पदार्थों आदि जो चिंगारी आग उत्पन्न करते हैं का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किये जायेंगे।

अतः प्रस्तावित स्थल मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, द्वारा गाटा/खसरा नं०-489 गॉव मानपुर नगरिया तहसील कासगंज जनपद कासगंज उ०प्र० मे प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु 20 के०एल० पेट्रोलियम क्लास "बी०" (एच०एस०डी०) का 01 अदद भण्डारण टैंक तथा 15 के०एल० पेट्रोलियम क्लास "ए०" (एम०एस) का एक अदद भण्डारण टैंक, की स्थापना हेतु अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी एक्ट व भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-2148 तथा अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पेट्रोलियम रूल्स-2002 नियमों मे निर्धारित मानको के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी अन्यथा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र कुल 01 वर्क।

(अमन शर्मा)

उपनिदेशक, फायर सर्विस
आगरा/अलीगढ परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि: 1-संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी कासगंज/एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, तथा इस निर्देश के साथ की विलम्बतम 24 घण्टे मे फायर सर्विस की वेबसाइट पर अपलोड कर तथा आवेदक को सम्बन्धित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, द्वारा गाटा/खसरा नं०-489 गॉव मानपुर नगरिया तहसील व जनपद कासगंज को अनुपालनार्थ।

Place : Mathura

Date : 30.12.2017

प्रादेशिक अधिक (रिटेल) मथुरा
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
प्लॉट डी-1, रोड नं 26, इंडस्ट्रियल एरिया,
साइट-बी, पो. रिफाइनरी, मथुरा-281005